

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष 45 अंक 273 शनिवार 27 अप्रैल 2024 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या-फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ 4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartyabasti.com

एक नजर

स्कूलों का समय बदला

लखनऊ (आभा)। यूपी में कहा आत तक के कच्ची को एक दिन की राहत मिल गई है। शनिवार 27 अप्रैल को स्कूल की छुट्टी जल्दी करने का आदेश दिया गया है। इससे भीषण गर्मी में रोज की अल्पा करीब डेढ़ घंटे पहले बच्चे स्कूल से घर पहुंच जाएंगे। शासन द्वारा दो दिन पहले स्कूलों के समय में परिवर्तन संबंधी जारी आदेश के बाद शुक्रवार को बैसिक शिक्षा निदेशालय ने भी इस बारे में आदेश जारी कर दिए। बैसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से प्रदेश के सभी परिषदीय स्कूल को जारी आदेश में कहा गया है कि कल शनिवार को सुबह 7.30 बजे से 11.30 बजे तक स्कूलों का संचालन करे। बैसिक शिक्षा परिषद के अधिन स्वीकृत और मान्यता प्राप्त सभी विद्यालय सुबह 7.30 बजे से सांझ 1.00 बजे तक संचालित किए जाएंगे।

जहरीला पदार्थ खाने से युवक की मौत

भारतीय बस्ती संवाददाता-सख्तीमा (बस्ती)। सोनाह थानाक्षेत्र के मनोडी गांव निवासी मतीबुल्ला (35) ने गुफवार को जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मतीबुल्ला फिहालक जहरीला पदार्थ का खाया था।

खाने के बाद उसे चस्तीया होने लगी तो घरवालों ने उसे सीपचरी देवा, दुमरियागंज ले गए। वहां मोट्टु चिकित्सक के कब्जे के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। गांववालों के मुताबिक अभी 15 दिन पूर्व मतीबुल्ला मुंबई से कमाकर लौटा था। घर में सबकुछ ठीक चल रहा था अनाज उपसर्न अपनी जान देने का फैसला कर लिया। पुलिस घटना के बाद मतीबुल्ला की बीवी व घटने के दो कच्ची का रो-रो कर बुरा हाल है।

मरीजों का एक्ज

कर रहे हैं विवरण

भारतीय बस्ती संवाददाता-बस्ती। जिले में 25 अप्रैल तक बस्ते अभियान में 12 बीमारियों से निरे रोगियों की खोजबीन करते हुए उनका संपूर्ण व्यौरा (मूनिफ़ाइड रिजिज सविज्ञापन पोर्टल) यूसीएसपी पर दर्ज कराया जा रहा है। इसमें टीबी से लेकर डायबिटीस, बुखार और डेंगू समेत अन्य बीमारियां शामिल हैं।

सीएमओ डॉ. आरएस दुबे ने संक्रमक रोग के संबंध में बताया कि पोर्टल पर जिन रोगियों की हिस्ट्री फाइड होगी उसके जरिए उनको ट्रीटमेंट देने में आसानी होगी और वह जल्द स्वस्थ होंगे। इससे बीमारियों को सही वक्त पर काबू किया जा सकेगा। बताया कि 25 अप्रैल तक अभियान चलाया जा रहा है। यूसीएसपी पोर्टल के संबंध में जानकारी दी गई। बताया गया था कि अब संक्रमक रोगों का संपूर्ण व्यौरा यूसीएसपी पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। सीएमओ ने बताया कि सभी प्रकार की संक्रमक बीमारियों पर नजर रखने के लिए यूसीएसपी पोर्टल विकसित किया गया है। जिले में समाविष्ट डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालका, फाइलेरिया, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, टाइफाइड, खच्च टाइफस, लेप्टोस्पायरोसिडिस आदि बीमारियों पर नजर रखी जा रही है। एनएमएम, सीपिओओ, आशा और आशा सगिनी के माध्यम से संक्रमक रोगों का संचालित किया जा रहा है। संचालित मरीजों का जांच भी करके उन्हें समाविष्ट होंगे में डाल रहे हैं। डाटा मैनेजर, सूचीबद्ध नियुक्त अनुमता को इस पोर्टल के बारे में जानकारी दी गई है। सीएमओ ने बताया कि जिनकी रिपोर्टिंग खराब होगी उनपर कार्रवाई होगी- हर आशा को एक दिन में 15-15 दिन विजिट करके रिपोर्ट अनिवार्य है।

मणिपुर-पश्चिम बंगाल में जमकर पड़े वोट, यूपी, बिहार में 60 प्रतिशत से कम मतदान

नई दिल्ली (आभा)। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए दूसरे चरण में शुक्रवार 26 अप्रैल को 13 राज्यों और कुछ शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा करीब 77.93 वोटिंग हुई। महाराष्ट्र, विहार और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 53 के आसपास मतदान हुआ। मणिपुर के उखरुल से एक वीइयो सामने आया, जिसमें कुछ संचित एक बूथ के अंदर घुस आए। कोरस नेता जयराम रमेश ने लोकतंत्र हाईजैक होने का आरोप लगाया।

इससे पहले, छत्तीसगढ़ के गरिबादत जिले में बूथ पर वोटों के दौरान एक पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मार ली। वह मध्य प्रदेश का रहने वाला है। शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक पूर्वोत्तर के राज्यों में जमकर वोटिंग हुई है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के वोटों में सुस्ती दिखाई दी। 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक मणिपुर में 76 फीसदी और त्रिपुरा में 76.23 फीसदी मतदान हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में 52.64 फीसदी ही वोटिंग हुई। विहार में भी 52 फीसदी के आसपास ही वोट पड़े।

श्री कृष्णा मिशन हास्पिटल में घुटने के एसियल लीगामेंट का सफल आपरेशन



अपने घुटने का इस्तेमाल कर पायेंगे। श्री कृष्णा मिशन हास्पिटल के चैयर्समन बसंत चौधरी ने हास्पिटल में पहली बार एसियल लीगामेंट का दूरबीन विधि से सफल आपरेशन हड़की रोग विशेषज्ञ डा. राजकुमार आर्य ने किया। जनसद के सुचना निवासी 24 वर्षीय गुफरान में घुटने में अपना घुटना नीचे तरह से क्षतिग्रस्त कर लिया था। गुफरान के अनुसार वह कई अस्पतालों में हड़की रोग चिकित्सकों के पास इलाज के लिये गया किन्तु कोई आपरेशन के लिये तैयार नहीं हुआ। श्री कृष्णा मिशन हास्पिटल में हड़की रोग विशेषज्ञ डा. राजकुमार आर्य ने उनका सफल आपरेशन किया। उन्हें पूरी उम्मीद है कि वे पहले की तरह



विहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यलय से प्राप्त जानकारी के अनुसार किरानागंज, कटिहार, जम्मू-कश्मीर- 67.22 प्रतिशत, कर्नाटक- 63.90 प्रतिशत, केरल- 63.97 प्रतिशत, मध्य प्रदेश- 54.42 प्रतिशत, महाराष्ट्र- 63.51 प्रतिशत, राजस्थान- 59.19 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 71.84 प्रतिशत मतदान हुआ। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में अमरौहा, मेरठ, बाराणसी, गाधियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मधुवा सीट पर मतदान कराया गया है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार लगने लगी। दोपहर तक लोग छाता लेकर धूप से बचते हुए कतार में लगते नजर आये।

दूल्हा तय नहीं किया है, लेकिन

जिससे भी उतारा जाएगा, वह बही जीत हासिल करेगा। उनके बयान में जिसे भी उतारा जाएगा से यह अर्थ निकाला गया था कि शायद अब वह अपने अलवा परिवार के ही किसी सदस्य को लड़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। राजज एवेंयू कोर्ट की जज थियका राजभूषण की अदालत ने कहा कि अब वृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय करने का फैसला 7 मई को होगा। इससे पहले 18 अप्रैल को ही अदालत फैसला सुनाने जा रही थी, लेकिन वृजभूषण शरण सिंह की ओर से अपील की गई थी कि इस केस की जांच की जाए। उनकी दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब उनकी अजी खारिज करने का आदेश दिया है। इसके बाद वृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे केस में आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। गौरवलेन ने खुद पर लगे चार उल्हीडों के आरोप को ही खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि जिस दिन छेड़कनी का आरोप एक महिला पहलवान ने उन पर लगाया है, उस दिन वह दिल्ली में ही नहीं थे।

यूपी में दूसरे चरण में भी नहीं जागे मतदाता: कम मतदान ने बढायी राजनीतिक दलों में खलबली



लखनऊ (आभा)। यूपी में 18 वीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में जबरन गिरावट आई है। पहले फेज से भी बेहद कम वोटिंग हुई है। कुछ सीटों पर तो 50 प्रतिशत का भी आंकड़ा पांच बजे तक पर नहीं हो सका था। पहले चरण में जहां 57 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग हुई थी वहीं दूसरे चरण में 53 प्रतिशत मतदान ही नहीं हो सका है। कम मतदान ने हर दल के मध्ये पर शकन ला दी है। पीएम मोदी, सीएम योगी, सपा प्रमुख अजितेश यादव, बसपा प्रमुख मयावती ने लोगों से ज्यादा या ज्यादा मतदान की अपील की थी। लेकिन किसी सीटों पर 52.64 फीसदी वोट पड़े थे। पहले चरण में पांच बजे तक 57 फीसदी से ज्यादा वोट पड़े थे। माना जा रहा है कि शाम छह बजे तक अभी कुछ खोसरी होगी। सबसे कम वोटिंग मधुवा में हुई है। यहां पांच बजे तक केवल 46.96 प्रतिशत लोगों ने ही वोटिंग की थी। अलीगढ़ में 54.36 प्रतिशत, अमरौहा में 61.89 फीसद, बाराणसी में 52.74 फीसद, बुलंदशहर में 54.34 फीसद, गौतमबुद्धनगर में 51.66 फीसद, गाधियाबाद में 48.21 फीसद और मेरठ में 54.62 फीसद मतदान हुआ था। सुबह सात बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हुआ। दूसरे चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में रामायण धारवाहिक में मगवान राम की मुमिका निभा चुके भाजपा के अरुण गोविल (मेरठ), अतिनीत्री हेमा मालिनी (मधुवा), मंत्री केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा (गौतमबुद्ध नगर) और अतुल गर्ग (गाधियाबाद) शामिल हैं। इनके अलावा जयेंद्र कोरसि से दानिश आली (अमरौहा), राष्ट्रीय लोक दल के राजकुमार सांवाण (बाराणसी) और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार व पूर्व सांसद विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़) का नाम भी शामिल है।

वीवीपैट पर्ची के मिलान करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया

नई दिल्ली (आभा)। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान के बाद निकलने वाली हर वीवीपैट रिलप का मिलान करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने यह अहम फैसला सुनाया है। इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे तमाम प्रवाल खत्म हो गए हैं। अदालत ने लंबी चली सुनवाई के बाद कुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अर्जियों पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा था कि क्या ईवीएम में पड़े वोटों और उससे निकलने वाली सारी वीवीपैट रिलप का मिलान हो सकता है। इस पर चुनाव आयोग ने नकारात्मक जवाब दी थी और कहा था कि यदि ऐसा किया जाएगा तो फिर नतीजा आने में 12 दिन तक का वकालत कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से ही वोटिंग जारी रहने का फैसला दिया है, लेकिन यह भी कहा कि चुनाव में दूसरे या तीसरे नंबर पर रहने वाला कोई कैंडिडेट 5 फीसदी ईवीएम की जांच कर सकता है। इसकी जांच में आने वाला खर्च शिकायत करने वाले उम्मीदवार को ही उठाना होगा। अदालत ने यह भी कहा है कि मतदान के बाद कम से कम 45 दिनों तक वीवीपैट रिलप को सुरक्षित रखना होगा। ऐसा इसलिए ताकि किसी तरह के विवाद की स्थिति में ईवीएम में पड़े वोटों के साथ उसका मिलान हो सके।



किया जा सके। चुनाव आयोग ने ईवीएम के दौरान कहा कि हर वीवीपैट का साथ वीवीपैट का मिलान होना चाहिए। आयोग ने कहा कि पहले से ही नियम है कि कोई भी 5 फीसदी ईवीएम के साथ वीवीपैट का मिलान कराया जा सकता है। ऐसे में यह एकदम पुराना नियम है। और संदेह को दूर करता है। चुनाव आयोग ने यह भी समझाया कि आज तक किसी ईवीएम के साथ हेंकिंग नहीं हो सकी है। ऐसे में उस पर सवाल उठाना तकनीकी लिहाज से भी किसी तरह ठीक नहीं है।

बिहार में 5 सीटों पर मतदान

पटना (आभा)। बिहार में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीटों पर शुक्रवार को मतदान हुआ। इस चरण में किरानागंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर एवं बांका सीट पर वोटिंग हुई। शाम 6 बजे तक राज्य में कुल 58.58 फीसदी मतदान हुआ। सबसे ज्यादा कटिहार में 64.6 फीसदी और किरानागंज में 64 फीसदी मतदान हुआ। पूर्णिया में 59.94 प्रतिशत और बांका में 54 प्रतिशत वोट डाले गए। सबसे कम भागलपुर में 51 फीसदी मतदान हुआ। हालांकि, पहले चरण में वोटों के विलोचन के बाद फेज में वोटों के बीच मतदान का उल्लास ज्यादा नजर आया। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 48.23 प्रतिशत ही मतदान हुआ था, जो कि मौजूदा चरण से 10 फीसदी कम था।



ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर खुले आम वसूली का आरोप

भारतीय बस्ती संवाददाता-बस्ती। आरटीओ महकमे से जारी हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर खुलेआम 1500 रुपया रिखात वसूल किया जा रहा है। अफसरों के उर से कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के मामले में एक सभ्यतित रिपोड काम कर रहा है। दवाल से लेकर सहायक और अफसर तक सभी इस गिरोह का हिस्सा है। ड्राइविंग सेंट्रल में आप फेल हो या पास बगर 1500 रुपया फेल होने आपका लाइसेंस नहीं बन सकता।



यह बातें आवेदक अन्तर्ग्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन (भारत) के प्रदेश मीडिया प्रभारी मेहंदे श्रवास्तव ने यहां प्रेस को संबोधित किया है। जानना चाहिये कि उसने जो ड्राइविंग सेंट्रल दिया उसमें वह फेल हुआ है या पर. तो नही जान सकता है। इस अफसर गणनीय रखते हैं। पास को फेल बतवाकर उससे ऐसे पैसे उठते हैं। यूसुली कोई करता है, जमा कोई होता है और रिखात को और करता है। इतना ही नहीं कई प्रभावी लोगों के लाइसेंस पर बैठे जारी हो रहे हैं। फेल वही होता है

बीएसए ने छात्रों को पुरस्कृत कर बढ़ाया हौसला: शत प्रतिशत मतदान पर जोर

भारतीय बस्ती संवाददाता-बस्ती। शुक्रवार को बैसिक शिक्षा अधिकारी अनूप कुमार तिवारी ने बस्ती सदर विकास खण्ड के पूर्व माध्यमिक विद्यालय महरीपुर में कम्प्यूटर लेब और स्मार्ट क्लास के शुरूआत करते हुये शत प्रतिशत मतदान पर जोर दिया। उन्होंने उपस्थित शिक्षकों, अभिभावकों का आवाहन किया कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिये अपने मतदाधिकार का प्रयोग अवश्य करें।



बीएसए ने कहा कि प्रमुख सचिव दुर्गाकिश मिश्र के दिशा निदेश के अनुसार परिषदीय विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने का काम का आरम्भ कार्य सरसरतः के विभ्र पर माध्यम से हुआ। इस अवसर पर बीएसए ने राष्ट्रीय अल्प योग्यता आधारित परीक्षा के तीन सफल छात्रों को प्रमाण प्रत्या, संगम और शिशुबु को शौल्ड देकर पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में बीएसए अनूप कुमार तिवारी ने शिक्षकों का आवाहन किया कि वे बदले परिशेष में अभिभावकों और छात्रों का भरोसा

जो पैसा नहीं देता या ज्यादा कानून बध्दाला है। हालात क्या हैं आसाम से लेकर परिवहन मंत्री तक श्रापस करके बहा चुके हैं, आरटीओ महकमे का भ्रष्टचार रती पर कम नहीं हुआ। नतीजा ये है कि अन्देश लोगों को घबल्ले से लाइसेंस जारी हो रहा है और मार्ग दुर्घटनाओं में लोटा अपनी जांज गवा रहे हैं। मेहन्दे श्रवास्तव ने कहा महकमे की लापरवाही से जमा किये जाये को सड़क हादसों में युवानी पड़ रही है। आरटीओ विस्तार पटल में लगे सौतीटीवी कैमरे लबने अरसे से सक्रिय नहीं हैं। सूत्रों की मानें तो अपनी कारगुजारियों पर परदा डालने की नीयत से इसे ठीक नहीं करवाया जा रहा है। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने पर भी अफसर जानकारी नहीं देना चाहते। मेहन्दे श्रवास्तव ने देहा करोड़ों की लागत से ड्राइविंग सेंट्रल के लिये आरटीओ विस्तार में बना ट्रैक मजक बनकर रह गया है। मेहन्दे श्रवास्तव ने कहा देहा हो तो आवाक को परिणामी भी बताया जाना चाहिये। उन्होंने उपरोक्त मामलों को सजा लेते हुये सक्षम अधिकारियों से ठोस कार्यावाही की मांग किया है।

विनोद कुमार त्रिपाठी ने कार्यक्रम में शिक्षकों और अभिभावकों, छात्रों का उत्साहबन्धन करते हुये शिक्षकों में हो रहे कव प्रयोगों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया। संवलय आशीष श्रवास्तव ने किया। इस अवसर पर शिक्षक राकेश सिंह, डा. अपराजिता मिश्र, अनुरसना, ए.आर. पी. अनिल कुमार, रामशंकर पाण्डेय, ग्राम प्रधान दुर्गा कुमार यादव के साथ ही छात्र और अभिभावक उपस्थित रहे।

खण्ड शिक्षा अधिकारी

"यूशु अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"-वेडेल फिलिप्

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 27 अप्रैल 2024 शनिवार

सम्पादकीय

मसालों में मिलावट

निस्संदेह, भारतीय मसालों का जिक्र किये बिना दुनिया का इतिहास पूरा नहीं हो सकता। विदेशी शासकों के राज से पहले भी भारतीय मसाले देश की आर्थिकी का मजबूत आधार होते थे। इनकी गुणवत्ता के लिहाज से भारत को मसालों के देश की संज्ञा दी जाती रही है। भोजन को लजीज बनाने, इस्प्यूनिटी बढ़ाने व पाचन सुधारने में इनकी बड़ी भूमिका रहती है। लेकिन यह खबर परेशान करने वाली है कि दुनिया के कई देशों में भारतीय मसालों में सेहत के लिये हानिकारक पदार्थ पाए गए हैं। ये मसाले सदियों तक भारत की पहचान होते थे। कहा जाता है कि कभी पुर्तगाली व अन्य यूरोपीय हमलावर मसालों की तलाश में ही भारत आए थे। ये मसाले न केवल रोगनाशक बल्कि इस्प्यूनिटी बढ़ाने वाले भी होते हैं। पूरे कोरोना संकट में इन मसालों ने ही देश के लोगों का मनोबल बनाये रखने में खासी मदद की। यहां तक कि आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्सक हमारी रसोई को आम भारतीय का मेडिकल स्टोर तक कहते हैं। बहरहाल, हांगकांग व सिंगापुर में दो चर्चित भारतीय कंपनियों के मसालों को सेहत के लिये घातक बताते हुए इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये वे मसाले हैं, जिनका भारत के हर घर में उपयोग होता है और जो भारतीयों के स्वाद में रबे-बसे हैं। यह तथ्य भी विचारणीय है कि यदि इन कंपनियों के मसाले में वास्तव में घातक पदार्थ मौजूद हैं तो गुणवत्ता नियामक संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जांच क्यों नहीं की? क्यों करोड़ों भारतीयों की सेहत को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया? हकीकत यह भी है कि चीनी स्वामित्व वाले हांगकांग में दो भारतीय ब्रांड्स के मसालों पर बैन लगाया गया है। आरोप लगाया गया कि इन मसालों में कैंसर का कारक बन सकने वाला एथिलिन ऑक्साइड परेटीसाइड मिला है। जिसके चलते हांगकांग की फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने दो भारतीय बड़े ब्रांड्स के चार मसाले जांच में फेल कर दिये हैं।

दरअसल, हांगकांग के फूड एंड एनवायरमेंटल हाइजीन डिपार्टमेंट ने पांच अप्रैल को जारी रिपोर्ट में दो भारतीय कंपनियों के करी पाउडर, सांबर मसाला, फिश करी मसाला व मिक्स्ड मसाला पाउडर के सैंपल फेल होने की बात कही है। वहीं कहा जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन ने सैकड़ों भारतीय खाद्य पदार्थों में ऐसे ही केमिकल का उपयोग पाया है। उनका कहना है कि यूरोप जाने वाले उत्पादों में यह केमिकल रहना तौर पर पाया जाता है। जिसमें अखरोट, तिल के बीज, मसाले व अन्य खाद्य उत्पाद शामिल हैं। इनमें कुछ को बॉर्सेट से वापस भेजा गया तथा कुछ को बाद में बाजार से हटा दिया गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बता रहे हैं कि एथिलिन ऑक्साइड के प्रभाव से लिफोभा और ल्यूकोमिया आदि कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। खाद्य सुरक्षा पर नजर रखने वाली संस्थाएं इन्हें घातक बता रही हैं। उल्लेखनीय है कि बीते सालों में अफ्रीका में बच्चों की मौत का कारण जिस भारतीय कफ सीरप को बताया गया था, उसमें भी एथिलिन ग्लाइकोल की मात्रा पायी गई थी। निस्संदेह, भारत सरकार और नियामक संस्थाओं को इन आरोपों को गंभीरता से लेना चाहिए। एक पक्ष यह भी है कि ये मालते तब सामने आए हैं, जब पिछले दिनों भारत सरकार ने कुछ यूरोपीय स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों को सेहत के लिये हानिकारक घोषित किया है। इसके बावजूद हमें ध्यान रखना होगा कि दुनिया के मसाला कारोबार में हमारी हिस्सेदारी 43 फीसदी है। अतएव भारत को अपने मसाला उत्पादों की विश्वसनीयता बनाकर रखनी होगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक व निर्यातक देश भी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005 के बाद भारत के मसाला निर्यात में तीस फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है। साथ ही इस दशक के अंत तक मसाला उद्योग को दस अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यदि इनकी गुणवत्ता में किसी भी तरह खोप जाएगी तो दो इससे भारत की प्रतिष्ठा को भी आंच नजब। इसके साथ ही भारतीय नागरिकों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। बहुत संभव है आने वाले दिनों में फिर से भारत में खड़े मसालों की ओर लौटने का रुझान बढ़े।

कम मतदान से क्या बदलेगा राजनीतिक परिदृश्य



—डॉ. आशीष वशिष्ठ—

बीती 19 अप्रैल को देश की 102 लोकसभा सीटों के लिए प्रथम चरण का मतदान हुआ। 21 ज्यों में आसफ़ 62 प्रतिशत मतदाताओं ने ही मताधिकार का उपयोग किया। यह 2019 की तुलना में 4 फीसदी कम रहा है। मतदान कम हुआ इसने सखीका जिला बर्बाद है। बूथ नमैजेमंट का कोशल जिन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के पास है उन्हें ज्यादा दे से ज्यादा लोगों को लाना था, जो जहां से जीते हैं उन्हें वहां से अपनी जीत के आंकड़े को बढ़ाना है। ये लक्ष्य भी दिया गया था, फिर क्या हुआ?

सबसे अधिक मतदान संघसशिक्ष क्षेत्र ज्यवन्दीय में 84.16 फीसदी किया गया। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और सिक्किम में 80 फीसदी से ज्यादा मतदान हुए, लेकिन फिर भी 2019 की तुलना में 2 फीसदी तक कम हुए। सिर्फ छत्तीसगढ़ में 2 फीसदी मतदान घटा दिया गया। जम्मू-कश्मीर सरोखे संवेदनशील क्षेत्र में 68.27 फीसदी मतदान शानदार माना जा सकता है। लेकिन वहां भी 2019 से 1.88 फीसदी मतदान कम हुआ। सबसे कम मतदान बिहार की सीटों पर 49 फीसदी से कुछ ज्यादा रहा, लेकिन 4 फीसदी कम मतदाता वोट देने



पर से निकले। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे भाजपा वर्चस्व के राज्यों में 5-6 फीसदी मतदान कम किया गया। मध्यप्रदेश, राजस्थान और मिजोरम आदि राज्यों में अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ। इनसे भाजपा को 370 और 400 पर वाले लक्ष्यों को ठेक पहुंच सकती है, क्योंकि भाजपा उत्तरी भारत में ही शानदार जनसहकार भरोसे है। दक्षिण पूर्व, पश्चिम में सब कुछ अनिश्चित है। हालांकि 52 फीसदी मतदान में 67.76 फीसदी मतदान हुए, लेकिन ये 7.31 फीसदी कम रहे। क्या मतदाताओं में भाजपा का इस्तेमाल करना था, लेकिन 6.12 करोंके भारतीयों ने वोट ही नहीं डाले।

2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में मतदान के घटने से राजनीतिक विश्लेषक हैरान हैं। बीते काफी लंबे समय से सत्ता और विपक्ष में बैठे नेता जनता के बीच जाकर अपना पक्ष रख रहे थे। समाचार माह यमों में भी चुनावी चर्चा को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है। टीवी और यूट्यूब चैनल पर तो राजनीतिक बहस के सियाव और कुछ होता ही नहीं। इसके बाद भी

यदि मतदान औसतन 75 फीसदी भी न पहुंचे तो इसका सीधा अर्थ नहीं निकलेगा कि मतदाता राजनीतिक के अतिक्रम से ऊबने लगे हैं। यद्यपि अलग जिरुपा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 70 फीसदी से अधिक मतदान थे साबित करने के लिए पर्याप्त है कि इन राज्यों में राजनीतिक जागरूकता विहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में कहीं ज्यादा है।

वहीं इस्का दूसरा पैलू ये भी है जहां कम या ज्यादा मतदान हुआ वहां का सामाजिक ढांचा किस प्रकार का है? उदाहरण के लिए मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अधिक मतदान एलनियन भाजपा के विरुद्ध जाता है। लेकिन हिन्दू बहुल क्षेत्रों के मतदाता पूरी तरह भाजपा को मत देने ये कह पाना कठिन है। बावजूद इसके कि भाजपा हिन्दू समुदाय का रूढीकरण अपने पक्ष में करने में काफी हद तक सफल रही है। इसी तरह जातीय समीकरण विधानों में भी उपने का प्रयास महारत हालतिले है। भाजपा के साथ मध्यम वर्ग परम्परागत जुड़ा रहा है जो पूरी तरह खुश नहीं होते हैं के बाद भी उसकी राष्ट्रवादी नीतियों

से प्रभावित होकर उसके पक्ष में खड़ा रहता है। असल में पहले चरण के मतदान में कोई लंघर महसूस नहीं हुई। ऐसा लगता है मानों औसत मतदाता ने यह धारणा बना ली है कि मोदी को ही आना है। यह सोच कर ही मतदाता पोलिंग स्टेशन से तटस्थ रहा है। कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों की खबरें सामने आई हैं कि उन्होंने भी मोदी को ही तीसरी बार प्रधानमंत्री मन लिया है, लिहाजा कोई भी धुबुकरण दिखाई नहीं दिया।

बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद राष्ट्रीय राजनीति में इतना बड़ा हो चुका है कि कोई अन्य नेता उनके आस-पास भी नजर नहीं आता। इस वजह से भाजपा को लगभग 5 प्रतिशत मत उस तबक के मिलने लगे हैं जो नीतियों के बजाय करिश्माई नेतृत्व से ज्यादा प्रभावित होता है। बुद्धिजीवी, विशेष रूप से पेशेवर वर्ग में पीएम मोदी की छवि बेहद निर्णय लेने वाले राजनेता की बन जाने से वह उनका प्रशंसक बन गया है। इन सबसे अलग अलग विचार के मन में उनकी मोटा अलग और मकान योजना का गहरा असर है। हालांकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और केनालक की नर भाजपा राज्य सरकारों भी ऐसे ही तमाम जन कल्याणकारी कार्यक्रम चला रही हैं किंतु देश के बड़े भेदों पर भाजपा का राज होने से मोदी की गारंटी का असर अपेक्षाकृत ज्यादा नजर आता है। पिछले साल पांच राज्यों के हिंसासमा सुनाव में मतदाताओं ने कांग्रेस के वोटों की बजाय मोदी की सरकार पर भरोसा जताया था।

वैसे तो सभी पार्टियां कम मतदान को अपने पक्ष में वताने का प्रयास कर रही हैं किंतु सत्ती के लिये विचारणीय तंत्र ये है कि शिष्टा और सचुनवा प्रश्न का इतना प्रहार होने के बावजूद मतदान कम क्यों होता है?

कैदियों के बीच कैसे रूके टकराव



—डॉ. केपी सिंह—

जुनोस अप्रैल को संगरूक जेल में बंदियों को दो समूहों के बीच झड़प में दो कैदियों की मौत हो गई और दो अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गए। इससे लगभग एक सप्ताह पहले भी गुरदासपुर की केंद्रीय जेल में एक झड़प को रोकने की कोशिश करते हुए झाना प्रबन्धक सफित कम से कम चार पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पंजाब की जेलों में पिछले एक दशक में हिंसा और दंगा की कई घटनाएं हुईं। फरवरी, 2023 में तरनतारन जेल की गंडखाल साखिब केंद्रीय जेल के अन्दर लड़कियों को दो गैंगस्टर मारे गए थे। जून, 2019 में लुधियाना जेल में दंगाई कैदियों ने पुलिस से झड़प की थी। जिसमें एक कैदी की मौत हो गई थी और पांच अन्य घायल हो गए थे। मार्च, 2017 में भी गुरदासपुर जेल में कैदियों के दंगे में तीन जेल कर्मचारी घायल हो गए थे।

जेलों में हिंसा के अपराधशास्त्र को जेल की सामाजिक संरचना और शासन व्यवस्था को सामने रखकर समझा जा सकता है। जो अक्सर संरचनात्मक के अभाव में आपसी खिलौना के कारण उत्पन्न होता है। यही नहीं, जेलों का माहौल ही शोषणकारी है और अन्याय होने पर कैदियों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया हिंसा ही होती है। नानसिक बीमारी, जातीय और धार्मिक समीकरण, बंदियों और जेल कर्मचारियों के बीच की सांठ-गांठ, सांस्कृतिक मतभेद और जेलों में बंदी गैंगस्टरों से सांठ-गांठ अन्य महत्वपूर्ण कारण हैं जो जेलों में दंगों के मूल कारण बन जाया करते हैं। पंजाब की जेलों में अधिकांश झगड़े भौतिक बन्धनों को लेकर नहीं बल्कि भ्रूषण, सम्मान, निष्पक्षता, वफादारी, गिरोहों की दुश्मनी व वर्चस्व जैसे गैर-भौतिक हितों को लेकर होते हैं। यही कारण है कि वे



पूर्व-नियोजित होते हैं और पुलिस हस्तक्षेप के बिना उन्हें सुलझाना कठिन होता है। कुछ साल पहले कौमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इन्स्टीट्यूट और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा किए गए एक संयुक्त अध्ययन से पता चला कि पंजाब की 24 में से 18 जेलें क्षतिग्रस्त से अधिक मरि हो चुकी हैं, 26 प्रतिशत पर खाली थे, 17 जेलें कल्याण अधिकारियों के बिना काम कर रही थी, बाहरी निरीक्षण तंत्र अमान्य पर नदवार था क्योंकि केवल एक जेल में ही 'बोर्ड आफ डिप्लोमेट' था जो जेलों पर स्वतंत्र निगरानी के लिए एक वैधानिक प्रक्रिया है। 660 कैदियों से से 12 प्रतिशत ने जेल-हिंसात्मक में हिंसा का कारण बताया था। 15 कारगारों में कैदियों ने जेलों के अंदर नरी की तकरीरी और प्रतिनिधित्व सामग्री की आपूर्ति की भी बात का जिक्र किया था।


ये सभी तथ्य मिलकर पंजाब की जेलों में संसाधनों, पारदर्शिता के अभाव, जिम्सका जेलों की गवाही देते हैं, जिसका जेलों के अन्दर के जीवन और सुखी पर निष्कर्ष प्रभाव पड़ता है। इसी जमाने के इतिहासिक के प्रकाश में जेलें खरबदस्ता, अमान्य और अर्दनामक जगत बन गयी हैं, जहां हिंसा अपरिहार्य है। जुलाई, 2022 में जंगल सरकार ने जेलों में ड्रग स्क्रीनिंग प्रकल्प शुरू किया जिसमें 30,000 बंदियों को शामिल किया गया था। यह बात सामने आई कि जेलों में शामिल 47 आदि। एक छोटी-सी गंगर में इतनी बड़ी संख्या में मादक द्रव्यों का सेवन करने वालों की मौजूदगी को लेकर एक विश्लेषण है जो फूटने का इश्कार कर रहा है। नशे का आदी व्यक्ति नशीली

तर्कसंगत स्थानांतरण नीति के अभाव में दानी जेल अधिकारी अपने पसदीदा स्थानों पर अपनी नियुक्ति का प्रबन्ध करते रहते हैं। इसके कारण बंदी बदमाशों के गिरोहों के साथ सांठ-गांठ विकसित करना आसान हो जाता है। जिसके परिणामस्वरूप जेलों में बेदमाशापूर्व, अंधेरे और झूठे आचरण पनपता है जो कैदियों के बीच टकराव बढ़ाता है।

अपेक्षाकृत छोटा राज्य होने के कारण पंजाब की जेलों में किसी भी जेल अधिकारी को एक स्थान पर दो साल से अधिक काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसी प्रकार समय-समय पर समीक्षा करके अवांछित तत्वों को सेवा से बाहर किया जाना चाहिए। जेलों में अन्दर की जमान्य को भी एक जमाने अन्वि । के बाते बदमशों के गिरोहों को जेल प्रणालियों में गोपनीयता अंतर्निहित है। जेलें प्रशासन बंदियों की सुखा का डिहोर पाठकर बन्द माहौल में काम करने का अनभरस्य हो चुका है। वे अपने कामकाज की निगरानी के लिए किसी बाहरी निरीक्षण तंत्र को पसंद नहीं करते, जबकि इस्लेके लिए वैधानिक प्रावधान हैं। आदर्श स्थिति में कारागार स्वतंत्र संस्थाओं के निरीक्षण के लिए खोले जाने चाहिए। कैदियों के बीच के तनाव और टकराव के समाधान के लिए भी एक प्रभावी तंत्र का होना बहुत आवश्यक है।

कारागारों में हिंसा रोकने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने वर्ष 1998, 2006 और 2015 में निर्देश जारी किए थे, परंतु इन निर्देशों में केवल जेलों की सुरक्षा को अड़क बनाने को आधार बनाया गया है और यह मान लिया गया कि जेलों में हिंसा कम कर सखा में कमी के कारण ही होती है। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि हिंसा के पीछे अनेक कारण होते हैं जिनका निवारण आवश्यक है। सरकारों और प्रशासनिक अंगों की इस सोच में आमूल-वूल परिवर्तन आवश्यक है ताकि समय रहते उन संस्थानों का समाधान किया जा सके जिसके कारण हिंसा होती है। जेलों से समन्वित वर्तमान कानून पश्चात कोडर है और अनुसूचना और पुखा बनाए रखने में सक्षम हैं। जरूरत इस बात की है कि जेल प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ करें। लेखक हरियाणा पुलिस में महानिदेशक रहे हैं।

सर्वे और दावे-प्रतिदावे



—हेमंत पाल—

अयोध्या, ज्ञानवापी और मथुरा की शीर्षक जन्मभूमि के स्वाधिन की प्रमाणिकता के लिए कोर्ट के लिए रिपोर्टों को भी एक उचित अन्वि । के बाते बदमशों के गिरोहों को जेल प्रणालियों में गोपनीयता अंतर्निहित है। जेलें प्रशासन बंदियों की सुखा का डिहोर पाठकर बन्द माहौल में काम करने का अनभरस्य हो चुका है। वे अपने कामकाज की निगरानी के लिए किसी बाहरी निरीक्षण तंत्र को पसंद नहीं करते, जबकि इस्लेके लिए वैधानिक प्रावधान हैं। आदर्श स्थिति में कारागार स्वतंत्र संस्थाओं के निरीक्षण के लिए खोले जाने चाहिए। कैदियों के बीच के तनाव और टकराव के समाधान के लिए भी एक प्रभावी तंत्र का होना बहुत आवश्यक है।

कारागारों में हिंसा रोकने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने वर्ष 1998, 2006 और 2015 में निर्देश जारी किए थे, परंतु इन निर्देशों में केवल जेलों की सुरक्षा को अड़क बनाने को आधार बनाया गया है और यह मान लिया गया कि जेलों में हिंसा कम कर सखा में कमी के कारण ही होती है। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि हिंसा के पीछे अनेक कारण होते हैं जिनका निवारण आवश्यक है। सरकारों और प्रशासनिक अंगों की इस सोच में आमूल-वूल परिवर्तन आवश्यक है ताकि समय रहते उन संस्थानों का समाधान किया जा सके जिसके कारण हिंसा होती है। जेलों से समन्वित वर्तमान कानून पश्चात कोडर है और अनुसूचना और पुखा बनाए रखने में सक्षम हैं। जरूरत इस बात की है कि जेल प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ करें। लेखक हरियाणा पुलिस में महानिदेशक रहे हैं।

सुनाव्य आयोग प्रतिशत बढ़ाने के लिए खूब प्रयास करता है। वोट रिलय भी घर-घर पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन गत दिवस कुछ राज्यों को छोड़ बाकी में 2019 के लोकसभा और 2023 के विधानसभा चुनाव से कम मतदान होना राजनीतिक पार्टियों के लिए पिता और विधान का कारण होना चाहिए। हालांकि परिणाम के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि कम मतदान से किसे फायदा या नुकसान हुआ किन्तु लोकतंत्र के लिए जिस तरह से मजबूत विपक्ष आवश्यक है उसी तरह मतदाताओं की जागरूकता भी। मतदाताओं को भी अपने एक वोट की शक्ति को समझना चाहिए। लोकतंत्र के पंच चुनाव के प्रति उदासीनता का सीधा असर देते हैं विकास और जनकल्याण पर पड़ता है। उस दृष्टि से पहले चरण में जहां-जहां मतदान 70 प्रतिशत से कम हुआ वहीं मतदाताओं का मतदान से दूरी मानने रखना अध्ययन का विषय है। इसका कारण पिछले वादे पूरे न होना भी हो सकता है। समाज में एक वर्ग उन लोगों का भी है जो वे मान देते हैं कि सत्त बदलने पर भी व्यवस्था में सुधार नहीं होता। ये निराशा किस्कों नुकसान पहुंचाएगी ये ताकालिक तौर पर तो कहना संभव नहीं है किन्तु कालांतर में लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगी ये निश्चित है। यह चुनाव के प्रति उदासीनता है या मतदाताओं को बुना विश्वासहीन अर्थहीन लगते हैं? यह सोच लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। जितना मतदान किया गया है, यह न तो सरकार के खिलफ माना जा सकता है और न ही विपक्ष को चुनने के प्रति उसाखी और उत्सुक लगता है। राजनीतिक दलों और नेताओं को भी इस दिशा में दमगत राजनीति और आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर विचार करने की जरूरत है।

को भंग करने जैसी होती है। मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा लागी गई आपत्तियों का जिक्र करने के साथ यह भी बताते हैं कि बीते सौ सालों से ज्यादा समय में भोजशाला विवाद में क्या कुछ हुआ। वे उन तर्कों को भी नकारते हैं, जो हिंदू पक्ष के लोग सामने रखने की कोशिश करते हैं। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर इसी तरह का सर्वे चारों की भोजशाला में किया जा रहा है। एएसआई को अपने देते से साबित करना है कि भोजशाला वास्तव में पंजाब राजा निर्मित सरस्वती मंदिर है या मौलाना कालुद्दीन की बनाई मस्जिद। दोनों पक्षों के बीच सौ सालों से ज्यादा समय से यह विवाद है। एक महीने से एएसआई और सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट में पेश किए जाने से पहले ऐसी बयानवाजी गोपनीयता भंग करने जैसा कृत्य कह सकते हैं।

